



भा.कृ.अनु.प.- केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र  
पोस्ट बैग न 1 पोस्ट ऑफिस मॉडल टाउन जालंधर-144003  
ICAR-CENTRAL POTATO RESEARCH STATION  
Post Bag No.1, Post Office Model Town, Jalandhar-144003



पत्रांक संख्या VI12016/जालंधर/गेहूँ/

908

दिनांक : 24 नवम्बर, 2020

निविदा/कुटेशन


प्रमुख, केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, जालंधर द्वारा निम्नलिखित समान की बिक्री के लिए निम्न निबंधन व शर्तों के आधार पर मोहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं :-

क्र. सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1	गेहूँ (undersize) किसम : HD - 2967	80 क्विंटल

1. कोटेशन/ निविदा सीलबंद लिफाफे में कार्य का नाम व नीयत तिथि लिख कर प्रमुख, केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बैग न० .1 माडल टाउन डाक घर, जालंधर - 144003 के नाम डाक द्वारा या हाथों-हाथ दी जा सकती हैं ।
2. निविदा इस कार्यालय में दिनांक 17.12.2020 दोपहर 12.00 बजे तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए । निर्धारित समय / तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और निविदाएं उसी दिन दिनांक 17.12.2020 को दोपहर बाद 2.30 बजे खोली जाएगी ।
3. निविदा के साथ 10,000/- (दस हजार मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट CPRS, Jalandhar(Payable at Jalandhar) के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. समान की बिक्री, जहा है जैसे है के आधार पर की जायगी ।
5. कोई भी व्यक्ति/फर्म गेहूँ का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस को सुबह 9.30 से साँय 4.30 तक कर सकता है ।
6. जिस व्यक्ति/फर्म का गेहूँ की खरीद हेतू अधिकतम रेट होगा उसे समान की बिक्री हेतू फ़ाइनल पेमेंट कार्यालय आदेश प्राप्त होने के पश्चात समान उठाने से पहले केंद्र के खाते में ऑनलाइन जैसे की मनी ट्रांसफर आदि के माध्यम से पाँच दिनों के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी
7. गेहूँ की भराई हेतू बोरी, लेवर आदि की सप्लाई केंद्र द्वारा नहीं की जाएगी ।

8. केंद्र द्वारा किसी प्रकार का सी व डी फार्म, रोड पर्मिट आदि जारी नहीं किया जायगा और अगर कोई टैक्स देय होगा तो वह फर्म को संबन्धित कार्यालय में स्वयं जमा करवाना होगा ।
9. समान की सप्लाई केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, नकोदर रोड, गाँव बादशाहपुर, जालंधर से की जाएगी ।
10. किसी प्रकार की कटिंग व ओवर राइटिंग होने पर अपने हस्ताक्षर करें ।
11. फर्म इस बात का ध्यान रखें कि दी गई दरें 30 दिनों तक मान्य होनी चाहिए ।
12. जो फर्म दिशा निर्देश का उल्लंघन करेगी उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
13. अधोहस्ताक्षरी किसी भी या सारी निविदाओं को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार रखता है ।

भवदीय

  
(डॉ. राज कुमार) 11/12/2020  
प्रमुख/Head  
के आ अनु के जालंधर  
C.P.R.S., Jalandhar

---

यह कार्यालय नकोदर रोड, टीवी टावर से 2km आगे (नकोदर की तरफ), जालंधर में स्थित है, दूरभाष नंबर (कार्यालय) 0181-2791474, फ़ैक्स : 0181-2790863, e-mail: [cprsjalandhar@gmail.com](mailto:cprsjalandhar@gmail.com)